

## प्राक्कथन

### 1. संभावना क्षेत्र

यह प्रकाशन भारत के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों, जो ऐसे उत्पादन की सूचना देते हैं, में खनिज उत्पादन की सांख्यिकी दर्शाता है। ये सांख्यिकी खनिज उत्पादन का सूचकांक; खनिज उत्पादन का राज्यवार मूल्य; खनिज उत्पादन: खनिजवार, प्रत्येक खनिज का राज्यवार, प्रत्येक राज्य में खनिजवार विवरण; राज्यवार/श्रेणीवार खनिजों का औसत विक्रय मूल्य तथा धातु उत्पादन की है। इस अंक में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन की विशिष्टियों की समीक्षा भी सम्मिलित है।

### 2. व्याप्ति

इस प्रकाशन में सम्मिलित उत्पादन सांख्यिकी में ईंधन, धात्विक तथा अधात्विक खनिजों का समावेश है। आप्तिक और गौण खनिज इस प्रकाशन के क्षेत्र में नहीं आते। खनिज उत्पादन का सूचकांक (आधार वर्ष 2004-05=100) गणना करने के लिए दिनांक 10 फरवरी 2015 को अधिसूचित गौण खनिजों ( गौ. ख. अंकित ) तथा ब्रिक अर्थ, बिल्लिडंग स्टोन, रोड मेटल जैसे गौण खनिजों का अनुमानित उत्पादन भी विचारार्थ लिया गया है।

### 3. आंकड़ों के स्रोत

आंकड़ों के स्रोत	आंकड़ों के मद	स्रोत
i)	धात्विक व अधात्विक खनिज	खनिज संरक्षण तथा विकास नियमावली 1988 के नियम (45)(5)(अ) के तहत खान मालिकों से प्राप्त मासिक विवरणियां
ii)	गंधक	उर्वरक संयंत्र और तेल शोधक शाला
iii)	कोयला व लिग्नाइट	कोयला नियंत्रक, कोलकाता
iv)	पेट्रोलियम (अपरिष्कृत) व प्राकृतिक गैस(उपभुक्त)	अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली.
v)	लोहस धातुएँ	संयुक्त संयंत्र समिति, कोलकाता
vi)	लौहस मिश्र धातुएँ	संयुक्त संयंत्र समिति, कोलकाता और वैयक्तिक उत्पादन इकाईयां
vii)	अ-लौहस धातुएँ	वैयक्तिक उत्पादन इकाईयां

### 4. मूल्य

धात्विक और अधात्विक खनिजों के उत्पादन मूल्य का आगणन, स्वभोगी खानें छोड़कर, प्रत्येक मामले में खान मालिकों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों के अनुसार प्रति इकाई एक्स-माइन प्राइस (खान मुख मूल्य ) और उत्पादन की मात्रा के गुणनफल द्वारा किया गया है। जबकि स्वभोगी खानों के मामलों में मूल्य की गणना उत्पादन लागत के आधार पर ही की गई है। कोयला और लिग्नाइट के मूल्य संबंधी आंकड़े कोयला नियंत्रक, कोलकाता द्वारा वार्षिक आधार पर प्रेषित किए जाते हैं। माहवार-मूल्य आगणन के लिए नवीनतम उपलब्ध वार्षिक आंकड़ों पर आधारित इकाई मूल्य प्रयुक्त किया गया है। पेट्रोलियम (अपरिष्कृत) और प्राकृतिक गैस (उपभुक्त) के मामले में माहवार-मूल्य के आगणन के लिए, प्रति इकाई मूल्य के.सां.का. के राष्ट्रीय लेखा प्रभाग से वार्षिक आधार पर तथा उत्पादन के आंकड़े पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से मासिक आधार पर प्राप्त किए गए हैं। उर्वरक संयंत्रों तथा तेल शोधन शालाओं के एक उप-उत्पाद के रूप में उत्पादित गंधक के मूल्य को खनिज उत्पादन के कुल मूल्य में शामिल नहीं किया गया है। अ-लौहस धातुओं का मूल्य संबंधित एककों से प्राप्त हुआ है। लौहस धातुओं और मिश्र धातुओं के इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, अतः प्रकाशित नहीं किए गए।

### 5. तुलनात्मक आंकड़े

पिछले मास में उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े और पिछले वर्ष के इसी अवधि के संचयी आंकड़े उत्पादन में हुए परिवर्तन को दर्शाते हैं। जून 2015 से तेलंगाना राज्य के संचयी आंकड़े तेलंगाना के जिलों, जो गतवर्ष (2013-14) में पूर्ववर्ती आन्ध्रप्रदेश का हिस्सा थे, का खनिज उत्पादन समेकीत कर तुलनात्मक उद्देश्य से दर्शाये गये हैं। पूर्ववर्ती आन्ध्रप्रदेश के गतवर्ष के संचयी आंकड़े नवगठीत आन्ध्रप्रदेश के संबन्धित जिलों का समेकीत उत्पादन दर्शाते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा 10-02-2015 के प्रभाव से 31 खनिजों (अंकित गौ. ख.) को गौण खनिज के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसलिए इन खनिजों के संचयी आंकड़े 10 माह (अप्रैल 2014 से जनवरी 2015) की अवधि के लिए हैं और गतवर्ष 2013-14 के आंकड़ों से तुलनीय नहीं हैं, क्योंकि वे बारह माह के लिए हैं।

### 6. प्रकाशित आंकड़ों का संशोधन

यद्यपि खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 विनिर्दिष्ट करती है कि खान मालिकों ने विगत मास की मासिक विवरणी प्रत्येक मास की 10 तारीख से पूर्व भेज देनी चाहिए, तथापि कुछ खान मालिकों की मासिक विवरणियां किसी मास के आंकड़े समेकन करते समय तक बकाया रह जाती हैं। ऐसी प्रत्येक खान के उत्पादन

आंकड़े, जिनकी मासिक विवरणियाँ बकाया रह जाती हैं, उस खान के पिछले मास के उत्पादन, मौसमी परिवर्तन इत्यादि को ध्यान में रखकर प्रकाशन के उद्देश्य से अनुमानित किए जाते हैं। इस तरह किए गए अनुमानों को बाद में, जब भी वास्तविक आंकड़े प्राप्त होते हैं, संशोधित किया जाता है। संशोधित आंकड़ों के प्रकाशन की वर्तमान प्रणाली इस तरह है :

मान लीजिए मार्च 2015 के ऐसे अनन्तिम आंकड़े जो "खनिज उत्पादन की मासिक सांख्यिकी" (ख.उ.मा.सां.) के मार्च 2015 के अंक में सर्वप्रथम प्रकाशित किए जाते हैं, को सर्वप्रथम मार्च 2015 की बकाया विवरणियों को ध्यान में रखकर, जो अप्रैल 2015 के आंकड़ों को अन्तिम रूप देने तक प्राप्त हो जाती हैं, संशोधित किया जाता है। मार्च 2015 के ये संशोधित आंकड़े अप्रैल 2015 के ख.उ.मा.सा. में पिछले महीने के आंकड़े के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। विगत मासों के आंकड़ों का संशोधन, जो विलम्ब से प्राप्त होने वाली विवरणियों के कारण भी आवश्यक हो जाता है, भी इसी तरह किया जाता है। किन्तु इसे अलग से न दिखा कर उन आंकड़ों का समावेश अप्रैल 2014 – मार्च 2015 के गत वर्ष के संचयी आंकड़ों में दर्शाया जाता है।

## 7. प्रत्येक मास के नवीनतम आंकड़े कहां से प्राप्त किए जाएं ?

खनिज उत्पादन की मासिक सांख्यिकी उस मास के नवीनतम आंकड़ों और पिछले मास के आंशिक संशोधित आंकड़ों को दर्शाता है। इसी तरह वर्ष के अप्रैल मास के प्रारम्भ से वर्तमान मास तक संचयी उत्पादन के नवीनतम आंकड़े तथा गत वर्ष के उस अवधि से संबंधित आंकड़े भी खनिज उत्पादन की मासिक सांख्यिकी के वर्तमान अंक से प्राप्त किए जा सकते हैं।

## 8. खनिज उत्पादन का सूचकांक (आधार वर्ष 2004 – 05 =100)

ईंधन, धात्विक, अधात्विक व गौण खनिजों सहित खनिज उत्पादन का सूचकांक पृष्ठ 1 और 2 पर दिया गया है।

## 9. विशेष सारणियां

(i) खनिजों का उत्पादन, 2014–15 तथा 2013–14 (खनिजवार/क्षेत्रवार) (ii) खानों की संख्या 2014–15 तथा 2013–14 (खनिजवार तथा राज्यवार) (iii) खनिजों एवं धातुओं का आयात एवं निर्यात की तालिकाएं इस अंक में सम्मिलित की गई हैं।

## 10. ग्राफ

खनिज उत्पादन का सूचकांक तथा खनिज उत्पादन का मूल्य पाई बार-चार्ट, लाइन ग्राफ एवं पाई आरेख वर्तमान अंक में दिए गए हैं।

## 11. खनिजों का औसत विक्रय मूल्य

कोयला एवं खान मंत्रालय, खान विभाग, नई दिल्ली द्वारा रायल्टी दरें संशोधन हेतु गठित अध्ययन समूह की सिफारिश पर उन खनिजों के लिए जिनकी स्वामिस्व (रायल्टी) की वसूली मूल्याधारित प्रणाली के तहत होती है और जो किसी अंतर्राष्ट्रीय मानक मूल्य से संबंधित नहीं है का राज्यवार औसत मूल्य खनिज की निश्चित श्रेणीवार (ख.उ.मा.सां. के अक्टूबर 2002 अंक से) तथा छः धातुओं – एल्युमिनियम, ताम्र, सीसा, निकल, टिन व जस्त का लन्दन मेटल एक्सचेंज मूल्य तथा दो बहुमूल्य धातुओं चाँदी व स्वर्ण का अन्य लन्दन मूल्य (ख.उ.मा.सां. के मार्च 2003 अंक से) प्रकाशित किया जा रहा है। खनिज रियायतें नियमावली 1960 के नियम 64 (डी) के संशोधन (दि.10 दिसम्बर 2009) तथा इसके अधीन बने दिशा निर्देशानुसार संदर्भित दिनांक से उत्पादन के केवल गैर-स्वभोगी भाग को विचारार्थ लेकर खनिजों का औसत विक्रय मूल्य प्रकाशित किया जाता है। इसलिये दिसम्बर 2009 तथा आग के अंकों में निहित औसत विक्रय मूल्य की तालिका गैर-स्वभोगी उत्पादन पर आधारित है। फरवरी 2011 से लौह अयस्क की कतिपय अतिरिक्त निम्न श्रेणियों (ग्रेड्स) का भी समावेश किया गया है। इसमें सम्मिलित खनिजों की सूची, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की द्वितीय अनुसूची में अद्यतन संशोधन (दि. 1 सितम्बर 2014) के अनुसार हैं। इस सूची में 10-02-2015 को अधिसूचित गौण खनिज भी समाविष्ट नहीं हैं।

## 12. लोह अयस्क का उत्पादन

स्वभोगी एवं गैर-स्वभोगी खानों द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में लोह अयस्क का उत्पादन प्रकाशित किया जा रहा है।

## 13. धातु उत्पादन

लोह अयस्क एवं मिश्र धातुओं तथा अलोहस धातुओं का उत्पादन प्रकाशित किया जा रहा है।

## 14. सारणियों के फुट – नोट

विभिन्न सारणियों के फुट – नोट अनुलग्नक – 1 में एक साथ अंतिम पृष्ठ पर दिए गए हैं।

## INTRODUCTION

### 1. SCOPE

This monthly publication presents important statistics on mineral production in all the States and Union Territories of India, which have reported such production. The statistics are on: Index of Mineral Production; value of mineral production by states; details of production by minerals, by state for each mineral, by mineral in each state; state-wise average sale price of minerals by grades and metal production.

### 2. COVERAGE

The production statistics included in this publication cover fuel, metallic and non-metallic minerals. Atomic and minor minerals do not come under the purview of this publication. For computation of Index of Mineral Production (with Base 2004 - 05 = 100) the estimated production of 31 minerals notified as minor-minerals (marked 'mm') and that of minor minerals like brick earth, building stone and road metal are also taken into account.

### 3. SOURCE OF DATA

<u>Item of Data</u>	<u>Source</u>
i) Metallic & Non-metallic Minerals	Monthly returns received from mine owners under 45(5) (a) of Mineral Conservation and Development Rules, 1988.
ii) Sulphur	Fertilizer plants & oil refineries.
iii) Coal & Lignite	Coal Controller, Kolkata.
iv) Petroleum (crude) and Natural Gas (utilised)	Economics and Statistics Division, Ministry of Petroleum & Natural Gas, New Delhi.
v) Ferrous Metals	Joint plant Committee, Kolkata
vi) Ferro-Alloys	Joint plant Committee, Kolkata and Individual producing units.
vii) Non-Ferrous Metals	Individual producing units.

### 4. VALUE

The value of production of metallic and non-metallic minerals is calculated by multiplying in each case the quantity of production and the ex-mine price (pit's mouth value) per unit as furnished by mine owners in the returns in all cases excepting captive mines for which the value is calculated on the basis of the cost of production. Value figures in respect of coal and lignite are supplied by the Office of the Coal Controller, Kolkata on annual basis. The unit value based on the latest available annual data is taken for compiling the month wise value figures. In the case of petroleum (crude) and natural gas (utilized) per unit value is obtained from national accounts division of CSO on annual basis and the production data from M/o Petroleum and Natural Gas on monthly basis for compiling the value figures. The value of sulphur, produced as a by-product from fertilizer plants and oil refineries, is not included in the total value of mineral production. The value of non-ferrous metals is furnished by the respective units. Similar figures for ferrous metals and Ferro-alloys are not available and hence not published.

### 5. COMPARATIVE FIGURES

Comparative figures of production for the previous month and cumulative figures for the corresponding period of the previous year are shown in order to indicate trends in production. From June 2014 onwards the cumulative figures of Telangana state for previous year (2013-14) are given for comparison purpose by clubbing the mineral production in the districts of Telangana which were the part of erstwhile Andhra Pradesh in the previous year. The figures for erstwhile Andhra Pradesh of previous year are reported for the corresponding districts of newly formed Andhra Pradesh.

During the the year under review 31 minerals were notified as minor minerals (marked 'mm') by the central government w.e.f.10.02.2015, therefore the cumulative figures of these minerals are for the period of 10 months (April 2014 to January 2015) and not comparable with those of the previous year since the later being of 12 months.

### 6. REVISION TO PUBLISHED FIGURES

Although the Mineral Conservation and Development Rules, 1988 stipulate that mine owners should submit the monthly returns before the 10<sup>th</sup> of every month in respect of the preceding month, the returns from some mine owners remain outstanding by the time the data for a month are taken up for

consolidation. Production data for each of the mines whose return remains outstanding are estimated for publication purposes keeping in view the production trend, seasonal variation etc. The estimates thus made are revised subsequently as and when the actual figure is received. The present method for publishing revised figures is as follows:

The provisional figures for, say, March 2015 which are first published in the “Monthly Statistics of Mineral Production” (MSMP) for March 2015 are first revised in the light of outstanding returns for March 2015 to the extent they are received till finalization of data for April 2015. The revised figures for March 2015 are published as previous month’s figures in MSMP for April 2015. Revisions to the figures of previous months, which also might be necessitated due to late receipt of returns, are also carried out similarly but are not shown separately and are included in the cumulative figures for April 2014 – March 2015.

## **7. WHERE TO OBTAIN THE LATEST FIGURES FOR A MONTH**

The publication ‘Monthly Statistics of Mineral Production’ for a month gives provisional figures for that month and the revised figures for the previous month. Similarly, the latest cumulative figures of production beginning from April of the year up to the current month are also published in the current issue of the Monthly Statistics of Mineral Production along with figure for the corresponding period of the previous year.

## **8. INDEX OF MINERAL PRODUCTION (BASE 2004-05=100)**

The index of mineral production covering fuel, metallic, non-metallic and minor minerals are presented on pages 1 and 2.

## **9. SPECIAL TABLES**

Statements on (i) Mineral production, 2014-15 & 2013-14 (by minerals/ by sectors) (ii) Number of reporting mines, 2014-15 (by minerals and by states) (iii) Exports & Imports of Ores & Minerals and Metals & Alloys are included in the current issue.

## **10. GRAPHS**

Bar charts, line graphs and pie-diagrams on index of mineral production and value of mineral production have been presented in the current issue.

## **11. AVERAGE SALE PRICE OF MINERALS**

With the recommendations of the Study Group on revision of royalty rates constituted by the Ministry of Coal & Mines, Department of Mines, New Delhi, the state-wise average value of minerals by grades for which royalty is chargeable on ad valorem basis not linked to any international benchmark prices (from the October 2002 issue of MSMP) and London Metals Exchange (LME) prices for six metals namely Aluminium (Al), Copper (Cu), Lead (Pb), Nickel (Ni), Tin (Sn) and Zinc (Zn) and also Other London Prices for two precious metals namely Silver (Ag) and Gold (Au) (from the March 2003 issue of MSMP) are being published. As per the amendment (dated 10<sup>th</sup> December 2009) to the rule 64D of MCR, 1960 and the related guidelines there under, the average sale price of minerals is published by taking into account that part of mineral produced for non-captive consumption only from the referred date. Therefore issues from December 2009 onwards contain statement on average sale price of minerals based on non-captive production. Certain additional lower grades have also been included for iron ore w.e.f. February, 2011. The list of Minerals covered is in accordance with the amendment (dated 01<sup>st</sup> September 2014) in the second schedule of MM (DR) Act 1957. The list also excludes the minerals notified as minor minerals on 10<sup>th</sup> Feb, 2015.

## **12. PRODUCTION OF IRON ORE**

Production of Iron Ore by Captive & Non-Captive mines in Public & Private sectors is being published.

## **13. METAL PRODUCTIONS**

Production of Ferrous Metals & Alloys and Non-Ferrous metals are being published.

## **14. FOOT-NOTES TO TABLES**

Foot-notes to different tables have been shown together at one place in Annex - 1.